न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नवलगढ़ जिला झुन्झुनू
पीठासीन अधिकारी श्री जय सिंह (आर॰ए॰एस॰)

जीएसएम.नं. 2025 / 234
मुकदमा नम्बर 59 / 2025 दायर दिनांक—08.05.2025

1. पोकरमल
2. रामधन पुत्रान स्व. ईसररामजी उर्फ ईश्वरजी जाति जाट निवासी घीसा की ढाणी तन—डूमरा, तहसील नवलगढ़ जिला झुझुनूं

...........आवेदकगण

बनाम

1. रघुवीर
2. शीशपाल
3. हरीप्रसाद पुत्रान स्व. मुकन्दारामजी जाति जाट निवासीगण घीसा की ढाणी तन् डूमरा,तहसील नवलगढ जिला झुझुंनू
4. भूमि धारक राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार नवलगढ़

.........अनावेदकगण

प्रार्थना पत्र अं. धारा 251(क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

वकील आवेदंक—श्री विधाधर सिंह जाखड़
अनावेदकगण 1 लगा. 3— श्री विजेन्द्र सिंह दूत
अनावेदकगण 4 — पैरो. राज.

:—निर्णय—:

दिनांकः—18 / 06 / 2025

यह प्रा0 पत्र आवेदकगण द्वारा अन्तर्गत धारा 251 (क) काश्तकारी अधिनियम 1955 को इस कदर पेश किया गया कि, ग्राम घीसा की ढाणी पटवार हल्का डूमरा के खसरा नं. 227 / 132 कदीमी रास्ते को 20 फीट चौडा कायम किया जाकर राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया जावे।

प्रा.पत्र पेश होने पर तलबी अनावेदकगण की जारी कि जारी की गई। अनावेदक सं. 4 की और से पैरो. राज. उपस्थित। अनावेदक सं. 1 लगा.3 की और से वकील श्री विजेन्द्र सिह दूत उपस्थित। प्रकरण में आवेदकगण व अनावेदकगण उपस्थित हो संयुक्त रूप से एक राजीनामा प्रा. पत्र पेश किया। राजीनामा पढकर सुनाया गया दोनो पक्षों द्वारा सुनकर स्वीकार

उपखण्ड अधिकारी
नवलगढ़

किया। पक्षकारों की पहचान वकील आवेदक तथा वकील अनावेदक द्वारा की गई। राजीनामें मे सभी पक्षकारों की सहमति होने पर बाद तस्दीक शामिल मिसल किया गया।

वकील उभय पक्ष द्वारा मुताबिक राजीनामा प्रा.पत्र स्वीकार किया जाकर प्रा. पत्र में वर्णित रास्ता सिवायचक दर्ज किये जाने का निवेदन किया।

प्रा. पत्र आपसी सहमति का होने से राजीनामा प्रा. पत्र में अंकित इबारत अनुसार स्वीकार किया जाता है। ख.नं. 227/132 मे रास्ते की चौडाई 11फीट कायम कर राजस्व रिकार्ड में गै.मु.रास्ता सिवायचक दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है। उक्त रास्ते की चौडाई मौके पर कम हो तो दोनो तरफ से बराबर भूमि लेकर चौडाई 11 फीट की जावे। राजीनामे के साथ प्रस्तुत नजरी नक्शे के बी बिन्दू से उक्त रास्ता खसरा नं. 134 मे धुसकर उसकी उत्तरी सीमा के सहारे–सहारे होता हुआ पश्चिम में खसरा नं. 229/132 की पूर्वी सीमा तक 11फीट चौडा रहेगा जिसको मौके पर कायम किया जाकर राजस्व रिकार्ड में गै.मु. सिवायचक रास्ता दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है। सुलभ संदर्भ हेतु पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत राजीनामा व उसके साथ संलग्न नजरी नक्शा उक्त आदेश का भाग होगा।

तहसीलदार नवलगढ, को आदेशित किया जाता है कि, मुताबिक आदेश मौके पर रास्ता कायम करवाया जाकर, राजस्व रिकार्ड में गै0मु0 सिवायचक रास्ता दर्ज कर देवे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील कार्यवाही जाप्ता दाखिल दफतर हो। निर्णय आज दिनांक 18/06/2025 को मैरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(जय सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
नवलगढ़ ,जिला–झुझुंनू